न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 208/2014 दायर दिनांक–15.09.2014

1. रूकमणी देवी पुत्री हणमान पत्नी जगदीश प्रसाद जाति राजपूत निवासी भोजनगर हाल आबाद आकोदा तहसील मोलासर जिला नागौर

–वादी

बनाम

1. बलबीर सिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
2. सरोज पुत्री लादूसिंह
3. प्रमोद पुत्री लादू सिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर हाल आबाद आजडोली डिडवाला जिला नागौर
4. प्रेम कंवर पुत्री हणमान सिंह पत्नी शिवदान जाति राजपूत निवासी भोजनगर हाल आबाद आकोदा तहसील मोहलासर जिला नागोर
5. गोकूल सिंह पुत्र हणमान जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ़
6. हरिसिंह पुत्र हनुमान सिंह
7. गोपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
   7/1 लोकेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
   7/2 दीपेन्द्र भोजराज पुत्र गोपाल सिंह
   7/3 रतन कंवर स्त्री गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनपुरा तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
8. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील प्रतिवादी : – श्री अमर सिह शेखावत

दावा : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा व बेअसर करने विक्रय पत्र व निरस्त करने नामांतकरण संख्या 187

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 23.09.2025

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं0 104, 170, 323 स्थित है इस भूमि के बाद में खसरा नम्बर बदलकर खसरा नम्बर 134 रकबा 1.84 है0, खसरा नं0 316 रकबा 1.11 है0 खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.76 है0 है जो इस भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर है। जिसकी खातेदारी पूर्व में स्व0 हनुमान सिंह पुत्र केशर के नाम से दर्ज थी।

उपरोक्त भूमि वादिया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 एक [illegible] के सदस्य है तथा स्व0 हणमान सिंह पुत्र केशर सिंह के वारिस है जिसकी वंशावली वाद पत्र [illegible] 2 में अंकित अनुसार है। उपरोक्त भूमि शामलाती खातेदारी कब्जे व काश्त [illegible] पैतृक भूमि में पुत्र व पुत्री का जन्म के साथ ही हक व हिस्सा होता है। वादिया स्व0 हनुमान सिंह [illegible] पुत्री है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में स्व0 हणमान की मृत्यु के बाद वादिनी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 को शामिल में काश्त व कब्जा है। विवादग्रस्त भूमि में वादीया का 1/4 हिस्सा है 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता लादू सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

का था व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 का है 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 5 का है इसी अनुसार कब्जा काश्त है।

भूमि में वादिया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/4–1/4 हक व हिस्सा है। इसी अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड पहले पहले वादिया के पिता हनुमान सिंह के नाम से चल रहा था। हनुमान सिंह कि मृत्यु पर उक्त भूमि का रिकॉर्ड वादीया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के नाम दर्ज होना चाहिए था परन्तु प्रतिवादी नं0 1 व 3 के पिता स्व0 लादू सिंह बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति है। इन्होंने गलत तरीके से हनुमान सिंह की मृत्यु होने के बाद इस भूमि का रिकॉर्ड अकेले अपने नाम व प्रतिवादी नं0 5 के नाम से दर्ज करवा लिया जो गलत दर्ज करवाया है। जबकि वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड वादीया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के नाम दर्ज होना चाहिए था। वादीया का इस भूमि के 1/4 हिस्सा है तथा 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादीया की पैत्रिक भूमि है। जिसमें वादीया का जन्म से ही अधिकार है। वादिया को उक्त विवादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता लादू सिंह ने खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के हक में 1/2 हिस्से कि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 को तस्दीक करवा दिया। जबकि ऐसा करने का लादू सिंह को कोई हक व अधिकार नही था। उक्त विक्रय पत्र वादिया के हक अधिकारों के खिलाफ बेअसर व शून्य है।

वादिया व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 का खाता शामलाती है व अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है वादिया अपने हिस्से 1/4 की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग खाता कायत कर अलग लगान का निर्धारण कर अलग राजस्व रिकॉर्ड बनवाना चाहते है।

लादूसिंह द्वारा तस्दीक विक्रय पत्र दिनांक 20.04.19998 का नामातकरण संख्या 187 खोला गया। उक्त विक्रय पत्र वादिया के वैध अधिकारों के खिलाफ बेअसर व शून्य है। तथा इस आधार पर भरा गया नामांतकरण निरस्त योग्य है।

प्रतिवादीगण की नियत खराब है। वे गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में भूमि को खुर्द बुर्द व डैमेज करने में लगे है तथा निर्माण कर रहे है। प्रतिवादीगण इस नाजायज हरकत में सफल हो गये तो वादीया को अपार क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असंभव होगा। अतः प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि को वेस्ट व डैमेज नही करें। वादिया के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुचाये।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भोजनगर की भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.11 है0, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.76 है0 भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 को व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 5 को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 6 व 7 का [illegible] रिकॉर्ड से हस्ब किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का घोषित हिस्से अनुसार [illegible] करके अलग खाता व लगान कायम किया जावे।

लादूसिंह द्वारा खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में से 1/[illegible] हिस्से का प्रतिवादी नं0 6 व 7 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 को वादीया के अधिकारों के खिलाफ शून्य व बेअसर घोषित किया जावे तथा इस आधार पर भरे गये नामांतकरण संख्या 187 को निरस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में वादीया को जबरन बेदखल नही करें। भूमि को खुर्द बुर्द व वेस्ट व डैमेज नही करें। वादिया के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये। भूमि पर जबरन निर्माण कार्य नही करें।

प्रतिवादी संख्या 06, 7/1, 7/2, 7/3 की ओर से जवाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादपत्र की मद संख्या 1 में दर्ज भूमि ग्राम भोजनगर में होना स्वीकार है। उक्त भूमि स्व0 लादूसिंह की खातेदारी काश्त की भूमि थी तथा स्व0 लादूसिंह ही काबिज था। वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। हणमान सिंह की खातेदारी की भूमि का एकमात्र वारिस प्रतिवादी नं0 5 है। वादिया का उक्त भूमि से कोई हक अधिकार नही है। हनुमान सिंह की मृत्यु के बाद उसका वारिस प्रतिवादी नं0 5 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड आया है। स्व0 लादूसिंह ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में 1/2 हिस्सा जबाबदेहन्दा को जरिये विक्रय पत्र के विक्रय कर दी जिसका प्रतिफल 26,500/– रूपये प्राप्त कर दिनांक 20.04.1998 को जबाबदेहन्दा के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ के यहां विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया उसके पश्चात नामांतकरण दर्ज हो गया। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का कब्जा काश्त विक्रय पत्र के रोज से ही जबाबदेहन्दा का है जबाबदेहन्दा ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि रहन एस0बी0बी0जे0 शाखा बसावा के रहन रख रखी है। बाकी तमाम तथ्य गलत व बेबुनियाद है।

वादिया का कोई कब्जा काश्त व खातेदारी नही होने के कारण से विभाजन का वाद प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नही है।

वादिया ने अपने वाद में कही भी यह कथन नही किया है कि स्व0 हणमानसिंहका देहान्त कब हुआ और स्व0 लादूसिंह का देहान्त कब हुआ। वादिया की शादी काफी वर्ष पहले हो चुकी है। वह अपने ससुराल में रहती है। और ससुराल में अपनी भूमि लाट बाट करती है।

यह कहना गलत है कि जबाबदेहन्दा भूमि को वेस्ट व डेमेज कर रहे हो अथवा काई निर्माण कर रहा हा। वादिया के पक्ष में न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन है न ही आर्थिक नुकसान है। वादिया ने गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया है। वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

<u>अतिरिक्त उत्तर</u>

ग्राम भोजनगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 मे से 1/2 हिस्सा स्व0 लादूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर ने बिलएवज कीमत 26500/– प्राप्त कर जबाबदेहन्दा के पक्ष में दिनांक 20.04.1998 को उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ में में विक्रय पत्र तस्दीक कवा दिया उक्त रोज से ही जबाबदेहन्दा की खातेदारी काश्तकारी कब्जे व दर्ज राजज्ञव रिकॉर्ड में चली आ रही है। स्व0 लादूसिंह ने अपने खातेदारी अधिकारों को अपने इन्टरेस्ट के लिए ट्रांसफर करने का अधिकार रखता थ्थ्ज्ञा जिसने अपनी खातेदारी के अधिकारों को ट्रांसफर जबाबदेहन्दा के पक्ष में कर दिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 ट्रां[illegible] प्रॉपर्टी का कहने का अध्किार रखता था जिसका पूर्ण स्वामित्व अधिकार होन के कारण से अ[illegible]धिक[illegible] का स्थानांतरण जरिये विक्रय पत्र के जबाबदेहन्दा के पक्ष में कर दिये। राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] की धारा 46(3) मिलिट्रि परसन्स को प्रोटेक्ट करती हो प्रतिवादी नं0 7 भारतीय [illegible] सेवानिवृत हुआ है इसलिए उक्त अधिकारों के तहत मिलिट्री परसन्स को कानूनन प्रोटेक्स किया है उसके विरूद्व वाद लाने का कोई हक अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वादिया के पिता हणमानसिंह का कौनसे सन्, मिति या तिथि को देहान्त हुआ ऐसा वाद पत्र मे कोई कथन नही किया है ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर उक्त तथ्य छुपाया गया है। स्व0 लादूसिंह का देहान्त 1998 के बाद में कब हुआ यह तथ्य भी अंकित नही है। स्व0 लादूसिंह को अपने अधिकारों को ट्रांसफर करने का पूर्ण अधिकार रखता था।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन धारा 6(1) के जरिये पुत्र पुत्रियों को कोपार्सनर यानि पुत्र पुत्रियो का बराबर बराबर अधिकार पिता की संपति में माना है जो दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ। उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव न होकर प्रोस्पेटिव अधिकार दिया है यानि दिनांक 09.09.2005 के पूर्व पुत्रियों को कोई अधिकार नही था न ही कानूनन वाद लाने की अधिकारिणी है। उक्त संशोधन पिता के जीवित दिनांक 09.09.2005 को होने पर इफेक्टीव है हणमानसिंह को देहान्त आज से 60 वर्ष पूर्व हो चुका है व लादूसिंह का स्वर्गवास हुए 20 वर्ष से अधिक हो गये इसलिए उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

भूमि खसरा नम्बर 356 में गोपालसिंह का हिस्सा 1/2 एस0बी0बी0जे0 शाखा बसावा के यहा रहन रख रखा है जिसका नामांतकरण एस0बी0बी0जे0 के पक्ष में है जिसे पक्षकार वाद में नही बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में आदेश 1 नियम 9 के तहत वाद खारिज होने योग्य है।

विक्रय पत्र को शून्य व बेअसर करवाने के लिए सिविल न्यायालय की क्षैत्राधिकारीता है सिविल न्यायालय को सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार है न कि राजस्व न्यायालय को इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है। वादिया का मुख्य अनतोष भी विक्रय पत्र को बोईड व शून्य बेअसर करवाने का है।

वादिया का उक्त आराजी पर कब्जा नही होने के कारण वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का लाने की अधिकारिणी नही है न ही वैकल्पिक कब्जा प्राप्त करने की इस्तदुआ चाही है। इसलिए कब्जे के अभाव में वाद स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन खारिज होने योग्य है।

अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादिया मय हर्जा सहित खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कामय की गई :—

1. **तनकी नम्बर 01 :—** आया वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजनगर में स्थित भूमि खसरा नं0 134/1.84, 316/1.11, 356/0.81 कुल किता 3 कुल रकबा 3.76 है0 भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 6 व 7 का नाम हजफ किया जावे।

भा.स.वादीया

2. **तनकी नम्बर 02 :—** आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता लादूसिंह द्वारा ख0 नं0 356/0.81 है0 में से 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 ए व 7 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 को वादीया के अधिकारों के खिलाफ बेअसर घोषित किया जावे एवं इस आधार पर बने नामांतकरण सं0 187 को निरस्त किया जावे।

भा॰स॰वादीगण

3. **तनकी नम्बर 03 :—** आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादीया को जबरन [illegible] उपयोग में बाधा नही पहुंचाये व जबरन निर्माण कार्य आदि नही करे।

भा॰स॰वादीया

4. **तनकी नम्बर 04 :—** आया वादीगण द्वारा प्रस्तूत वंशावली जि[illegible] तरह से दर्ज की है अस्वीकार है तथा वादीया व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का उकत भूमि से कोई संबंध नही है।

भा॰स॰प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

5. **तनकी नम्बर 05 :–** आया स्व0 लादूसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है में 1/2 हिस्से को जबाबदेहन्दा के पक्ष में दिनांक 20.04.1998 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया तथा नामा0 दर्ज हुआ है। विक्रय पत्र को शुन्य व बेअसर करवाने के लिए सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है न कि राजस्व न्यायालय को अतः वाद खारीज किया जावे।

भा.स.प्रतिवादीगण

6. अनुतोष

तनकीयात कायम होने शहादत ली गई। शहादत वादी में गोकुल सिंह, रूकमणी देवी, हरिसिंह उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998, प्रदर्श 2 लगायत 9 नकल जमाबंदियां प्रदर्श 10 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी सम्वत 2066–69 प्रदर्शित करवाये गये। वकील प्रतिवादी ने शहादत पेश नही करना जाहिर किया।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष बगौर सुनी गई। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीवार निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बर 01 :– आया वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजनगर में स्थित भूमि खसरा नं0 134/1.84, 316/1.11, 356/0.81 कुल किता 3 कुल रकबा 3.76 है0 भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 6 व 7 का नाम हजफ किया जावे।

भा.स.वादीया

तनकी नम्बर 02 :– आया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता लादूसिंह द्वारा ख0 नं0 356/0.81 है0 में से 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 ए व 7 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 को वादीया के अधिकारों के खिलाफ बेअसर घोषित किया जावे एवं इस आधार पर बने नामांतकरण सं0 187 को निरस्त किया जावे।

भा.स.वादीगण

तनकी नम्बर 03 :– आया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वादीया को जबरन बेदखल नही करें वादीया के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये व जबरन निर्माण कार्य आदि नही करें।

भा.स.वादीया

तनकी नम्बर 04 :– आया वादीगण द्वारा प्रस्तूत वंशावली जिस तरह से दर्ज की है अस्वीकार है तथा वादीया व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 का उकत भूमि से कोई संबंध नही है।

भा.स.प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 05 :– आया स्व0 लादूसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है में 1/2 हिस्से को जबाबदेहन्दा के पक्ष में दिनांक 20.04.1998 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया तथा नामा0 दर्ज हुआ है। विक्रय पत्र को शुन्य व बेअसर करवाने के लिए सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है न कि राजस्व न्यायालय को अतः वाद खारीज किया जावे।

भा.स.प्रतिवादीगण

तनकी नम्बर 01 लगायत 05 उक्त पांचों तनकियां [illegible] से संबंधित है, इसलिए पांचों तनकीयात का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। तनकी नम्बर 1 लगायत 03 को साबित करने का भार वादी पर तथा तनकी नम्बर 04 व 05 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भूमि ग्राम भोजनगर में स्थित भूमि खसरा नं0 134/1.84, 316/1.11, 356/0.81 कुल किता 3 कुल रकबा 3.76 है0 भूमि के संबंध में भूमि में वादिया को 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 को 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता लादूसिंह द्वारा ख0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

नं0 356/0.81 है0 में से 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 6 व 7 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र दिनांक 20. 1998 को वोइड व शुन्य घाषित किया जाकर प्रतिवादी नं0 6 व 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 06 व 07 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 356 रकबा 0.81 है0 में स्व0 लादूसिंह के हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 के द्वारा क्रय किया गया था। जो कि प्रदर्श 1 के द्वारा प्रमाणित है।

स्व0 लादूसिंह ने अपने खातेदारी अधिकारों को ट्रांसफर करने का अधिकार रखता था जिसने अपनी खातेदारी के अधिकारों को ट्रांसफर प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 के पक्ष में कर दिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 अपने अधिकारों का स्थानांतरण जरिये विक्रय पत्र के माध्यम से करने का अधिकार रखता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन धारा 6(1) के जरिये पुत्र पुत्रियों को कोपार्सर यानि पुत्र पुत्रियो का बराबर बराबर अधिकार पिता की संपति में माना है जो दिनांक 09.09.2005 को लागू हुआ। उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव न होकर प्रोस्पेटिव अधिकार दिया है यानि दिनांक 09.09.2005 के पूर्व पुत्रियों को कोई अधिकार नही था न ही कानूनन वाद लाने की वादिनी अधिकारिणी है। वादिनी की ओर से मुख्य अनुतोष विक्रय पत्र दिनांक 20.04.1998 को शून्य व बेअसर घाषित किया जाना है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य व बेअसर करना सिविल न्यायालय को क्षैत्राधिकार है न कि राजस्व न्यायालय को इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। तनकी नं0 1 लगायत 03 को वादिनी साबित करने में असफल रही है। अतः तनकी नम्बर 04 व 05 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा तनकी नं0 01 लगायत 03 वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

—:: आदेश ::—

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना—अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुनू

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰) नवलगढ़

<u>दावा</u> : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा व बेअसर करने विक्रय पत्र व निरस्त करने नामांतकरण संख्या 187

मुकदमा सं0:– 208 / 2014 **(रूकमणी देवी बनाम बलबीर सिंह आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.9.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ़
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:23:31 IST
Reason: SelfAttested